न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 38/2016

1. श्रीमति मधुबाई पत्नि श्री छोटूसिंह
2. श्री सुरेश पुत्र श्री छोटूसिंह
3. सुशीला देवी पुत्री श्री छोटूसिंह

समस्त जाति रावणा राजपूत, निवासी पंवार भवन, शम्भूनगर कोटड़ा, पुष्कर रोड़ अजमेर

................*अपीलान्ट्स*

बनाम

1. श्रीमति भगवती पत्नि श्री लक्ष्मणसिंह
2. श्री महेन्द्र
3. श्री तेजराज
4. श्री मनोज

पुत्रगण श्री लक्ष्मणसिंह

5. भंवरी
6. मंजू
7. संतोष

पुत्रियां श्री लक्ष्मणसिंह

समस्त जाति रावणा राजपूत, निवासीगण ग्राम बांदनवाड़ा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर

8. श्री रामसिंह पुत्र श्री रूपसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी संगम स्कूल पुलिस लाईन के पीछे, भीलवाड़ा
9. गीता पुत्री श्री रूपसिंह पत्नि श्री कैलाश, जाति रावणा राजपूत, निवासी सांगानेर कॉलोनी, सरकारी स्कूल के पास, कोटा रोड़, भीलवाड़ा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय

.......................रेस्पोन्डेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित :–1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 की ओर से।
3. श्री हेमराज राठौड़, सरकारी वकील।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

–: आदेश :–

दिनांक–14.11.2019

अपर कलक्टर,
अजमेर

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील भिनाय जिला अजमेर के राजस्व ग्राम बांदनवाड़ा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1849 रकबा 09–07–10 बीघा जिसके हाल खसरा संख्या 158 व 157 रकबा क्रमशः 0.71 व 1.52

Scanned by CamScanner

है0 के रेकॉर्डेड खातेदार श्री बद्री पुत्र श्री गोविन्दा, जाति दरोगा निवासी ग्राम बांदनवाड़ा की की मृत्यु पश्चात तहसीलदार केकड़ी द्वारा बाद जांच मृतक के वारिसान मु0 पार्वती बेवा बद्री व श्री लक्ष्मण पुत्र बद्री के पक्ष में विरासत का नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 07.12.1985 से स्वीकृत कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 07.12.1985 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोडेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 संख्या 1 से 7 जरिये वकील उपस्थित हुए। बहस प्रारम्भ होने से पूर्व मियाद के बिन्दु पर वकील रेस्पो0 द्वारा प्रारम्भिक एतराज दर्ज करवाये जाने पर वकील अपीलान्ट्स ने कथन किया कि न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2015 से मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया गया जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 से 7 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत निगरानी संख्या 175/2015 भगवती बनाम मधुबाई में दिनांक 03.01.2019 को निर्णय पारित किया जाकर आदेश दिनांक 05.01.2015 को यथावत रखा गया है। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम बांदनवाड़ा तहसील भिनाय की विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1849 रकबा 09–07–10 बीघा हाल खसरा संख्या 158 व 157 रकबा क्रमशः 0.71 व 1.52 है0 के खातेदार अपीलान्ट्स के दादा स्व0 श्री बद्री पुत्र श्री गोविन्दा थे। उनकी मृत्यु होने के उपरान्त मृतक की पत्नि श्रीमति पार्वती व उनके पुत्र श्री लक्ष्मण के नाम विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जबकि मृतक के अन्य कई वारिसान थे एवं विवादित आराजीयात में अपना अधिकार रखते हैं तथा वर्तमान में काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उन्होने कथन किया कि आक्षेपीय नामान्तरकरण में मृतक की विरासत गलत सजरे के आधार पर तस्दीक की जाकर कॉलम संख्या 16 में मृतक के दो ही वारिस श्रीमति पार्वती (पत्नि) व श्री लक्ष्मण (पुत्र) बताये गये हैं जबकि आक्षेपीय नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के दौरान मृतक के दो पुत्र व तीन पुत्रियां थी जिनके नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया। जिनमें से श्री छोटूसिंह पुत्र बद्री के वारिसान वर्तमान अपीलान्ट्स हैं। उनका कथन है कि आक्षेपीय नामान्तरकरण खातेदार श्री बद्री पुत्र गोविन्दा की मृत्यु के काफी वर्ष उपरान्त स्वीकृत किया गया है जिसकी आड़ में लक्ष्मण पुत्र बद्री की मृत्यु के पश्चात वर्तमान वारिस रेस्पो0 संख्या 1 से 7 विवादित अराजियात को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं।

वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट्स के पति/पिता लक्ष्मण पुत्र बद्री द्वारा मृतक के अन्य वारिसान के जीवित होने का तथ्य छिपाकर नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया गया है जबकि अपीलान्ट्स मृतक के विधिक वारिस है। आक्षेपीय नामान्तरकरण बिना विधिक वारिसान की जांच करवाये तस्दीक किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट्स ने आक्षेपीय नामान्तरकरण गलत तरीके से अपने नाम स्वीकृत करवा लेने का कभी भी जिक्र नहीं किया जबकि अपीलान्ट्स जब अपने गांव आये एवं मृतक की सम्पत्ति के सम्बन्ध में बात करने पर समस्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोन्डेन्ट्स के पति/पिता द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लेने की जानकारी हुई। तत्पश्चात दिनांक 07.06.2012 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 11.06.2012 को नकल प्राप्त

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

की जाकर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आक्षेपीय नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पूर्ण जांच एवं वारिसान का सजरा तस्दीक होने के पश्चात स्वीकृत किया गया है। उन्होने कथन किया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य नियमित राजस्व वाद वास्ते खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष विचाराधीन है। अतः नियमित राजस्व वाद के निर्णय तक उक्त अपील में समरी कार्यवाही स्थगित की जावे। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में वादी सूरजकंवर बेवा गणपत व अजय पुत्र गणपत को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि वे मृतक बद्री के विधिक वारिसान है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष विचाराधीन वाद में अपीलान्ट्स प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के रूप में अंकित है। इस तथ्य की जानकारी इन्हे पूर्व से ही है। जब विवादित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन हो तो नामान्तरकरण बाबत Summary Proceeding स्थगित रखी जानी चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान आर0आर0डी0 1985 पेज 170 की ओर आकर्षित किया।

उन्होने आगे कथन किया कि अपील में प्रस्तुत सजरे के अनुसार उपखण्ड अधिकारी भिनाय के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उक्त वाद में अंकित सजरे में मृतक की पुत्री शांति के वारिसान पक्षकार मुर्तिब हैं। अपीलान्ट्स द्वारा अपूर्ण सजरा अंकित कर वास्तविक तथ्यों को छिपाकर अपील पेश की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा श्रीमति शान्ति पुत्री श्री बद्री के वारिसान में शान्ति का मृतक पुत्र गणपत पुत्र श्री रूपसिंह के वारिसान श्रीमति सूरजकंवर पत्नि श्री गणपत एवं श्री अजय पुत्र श्री गणपत को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया है। उन्होने कथन किया कि आदेश 1 नियम 9 जा0दी0 में स्पष्ट प्रावधान है कि "यह आवश्यक है कि जब तक समस्त आवश्यक पक्षकार अपील में मुर्तिब नहीं हो तब तक अपील संधारण योग्य नहीं है।" अतः प्रोपर पार्टीज के अभाव में अपील निरस्त की जावे।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 ने कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण में अंकित सजरे को चुनौती नहीं दी गई है जबकि अपीलान्ट्स द्वारा नामान्तरकरण के बजाय सजरे को चुनौती दी जानी चाहिये थी। उनका कथन है कि अपीलान्ट्स को वारिसान घोषित होने के लिये इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। इस हेतु अपीलान्ट्स को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिये। उन्होने कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार केकड़ी व भिनाय दोनों को पक्षकार बनाया गया है जो कि कानूनी त्रुटि है। इस प्रकार अपीलान्ट्स ने दोषपूर्ण अपील प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है।

उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 07.02.1985, न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2015 एवं मान0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2019 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 से 7 द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रिट संख्या 3581/2019 प्रस्तुत की गई है जिसमें मान0 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं एवं प्रकरण विचाराधीन है। अन्त में उन्होने कथन किया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट्स निरस्त की जावे।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत कथनों के जवाबुल जवाब में वकील अपीलान्ट्स ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष विचाराधीन वाद में वादीगण अपील में पक्षकार मुर्तिब नहीं है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

जा0दी0 ऐसी स्थिति में ही पोषणीय हो सकता है जबकि दोनों न्यायालयों में समान पक्षकार हों। वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का यह कथन गलत है कि अपीलान्ट्स को दावे की जानकारी पूर्व से ही थी जबकि अपील न्यायालय में दिनांक 29.06.2012 को ही प्रस्तुत की जा चुकी थी तथा दावा इसके पश्चात दिनाक 16.01.2013 को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में Summary Proceeding स्थगित नहीं की जा सकती। विभाजन हेतु वाद अन्तर्सम्बन्ध नहीं होने से धारा 10 के प्रावधान मौजूदा मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। वकील अपीलान्ट्स का कथन है कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में रेस्पो0 संख्या 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत धारा 10 जा0दी0 एवं प्रोपर पार्टी का प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2014 एवं 05.01.2015 को निरस्त किया जा चुका है। उन्होने आगे कथन किया कि सजरे को चुनौती दिया जाना आवश्यक नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक वारिसान की जांच किये बिना आक्षेपीय नामान्तरकण तस्दीक किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलान्ट्स द्वारा अपील में ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरे के आधार पर समस्त वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील समस्त विधिक वारिसान की जांच किये बिना तस्दीक आक्षेपीय नामान्तरकरण के विरूद्ध की गई है। यदि विधिक वारिसान की जांच कर उनके नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है तो उन्हे कोई ऐतराज नहीं है। वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 द्वारा तहसीलदार केकड़ी व भिनाय दोनों को पक्षकार बनाये जाने को कानूनी त्रुटि बताते हुए अपील दोषपूर्ण होना बताया है जो आधारहीन एवं असत्य है। आक्षेपीय नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के दौरान तहसील भिनाय उपखण्ड केकड़ी के क्षेत्राधिकार में थी किन्तु वर्तमान में उपखण्ड भिनाय का नवसृजन होने से तहसील भिनाय इसकी क्षेत्राधिकारिता में आ गई है। इसी तथ्य के आधार पर तहसीलदार केकड़ी व भिनाय को पक्षकार मुर्तिब किया गया है।

वकील अपीलान्ट्स ने अन्त में कथन किया कि वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 07.02.1985, न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.01.2015 एवं मान0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2019 के विरूद्ध माननीय राज0 उच्च न्यायालय में रिट संख्या 3581/2019 प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है जबकि मान0 न्यायालय में प्रस्तुत रिट Defect में है एवं किसी प्रकार के नोटिस जारी नहीं किये गये है। प्रकरण दिनांक 27.03.2019 को सूचीबद्ध था किन्तु वर्तमान स्थिति की जानकारी वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बांदनवाड़ा तहसील भिनाय की विवादग्रस्त भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार श्री बद्री पुत्र श्री गोविन्दा की मृत्यु पश्चात मृतक की विरासत का आक्षेपीय नामान्तरकरण तस्दीक के दौरान रेस्पोन्डेन्ट्स के पति/पिता द्वारा मृतक की विरासत का गलत सजरा प्रस्तुत कर एवं अन्य वारिसान के जीवित होने का तथ्य छिपाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक वारिसान की जांच करवाये आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जबकि मृतक के अन्य कई वारिसान थे। हम वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 के इन कथनों से सहमत नहीं हैं कि पक्षकारान के मध्य नियमित राजस्व वाद विचाराधीन हो तो नामान्तरकरण बाबत Summary Proceeding स्थगित रखी जानी चाहिये। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक Fiscal Proceeding है जिसके द्वारा किसी खातेदार के हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7 का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय, इस न्यायालय व मान0 राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेशों के

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

विरूद्ध मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट विचाराधीन है, वे दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाये हैं। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 07.12.1985 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, भिनाय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त तथ्यों की जांच कर पक्षकारों को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर मृतक के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच करने के पश्चात नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chandra Sharma
Date: 2019.12.12 14:56:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: